संख्या-281/2025/2015/22-2-2023-17(564)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2025

विषयः- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतन माली पुत्र श्री किशोर माली, निवासी जनपद-जालौन की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रतन माली पुत्र श्री किशोर माली, जैसारी कला, थाना-डकोर, जनपद-जालौन का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण दिनांक 18.08.1979 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1979 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 30.08.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.08.2003 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.10.2022 तक 12 वर्ष, 04 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन द्वारा बंदी की आयु के दृष्टिगत भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 61 वर्ष की आयु, बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता (02 हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रतन माली (बन्दी संख्या-70/2011) पुत्र श्री किशोर माली, निवासी जनपद-जालौन की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-281/2025/2015(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।